न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस

राजस्व अपील सं0 68/2017

1.सुन्दर लाल पुत्र सुखदेव
2.बरदू पुत्र सुखदेव
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
...अपी0

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1.घासीराम पुत्र पांच्या
2.शिवराम पुत्र पांच्या
3.सांवता पुत्र मिश्र्या
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा
...रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.1981 सहायक भू प्रबंध अधिकारी बाबत् खसरा परिशोधन

उपस्थित : 1. श्री योगेश जाकड अधिवक्ता अपी0 पक्ष
2. श्री सीताराम मीना अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 04.03.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि ग्राम खेडा स्थित आराजी खसरा नं0 432 लगा0 434, 435/1367, 435/1368, 437, 438, 470, 481 कुल किता 9 कुल रकबा 1.20है0 जिसके साबिक खसरा नं050/436 व 50/437 थे, जो दिनांक 09.07.1961 को अपीलांट के पिता सुखदेव पुत्र काना के नाम आवंटित हुई थी। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा खसरा परिशोधन व पर्चा खतौनी मे रेस्पो0 1व 2 के पिता पांचू पुत्र काना व रेस्पो0 सं0 3 सांवता पुत्र मिश्र्या का नाम दर्ज कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि ग्राम खेडा आराजी खसरा नं0 432 लगा0 434, 435/1367,435/1368,437,438,470,481 कुल किता 9 कुल रकबा 1. 20है0 जिसके साबिक खसरा नं050/436 व 50/437 थे, जो दिनांक 09.07. 1961 को अपीलांट के पिता सुखदेव पुत्र काना के नाम आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि का नामान्तकरण सं0 101 दिनांक 25.08. 1971को अपलांट के पिता सुखदेव पुत्र काना को गैर खातेदारी अधिकार दिये गये तथा नामा0 सं0 155 दिनांक08.06.1985 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।भूप्रबंध के दौरान रेस्पोडेन्ट ने भूप्रबंध कर्मचारियें से साज कर खसरा परिशोधन मे अपीलांट के पिता सुखदेव के पिता की फर्जी अगूठा निशानी बनाकर रेस्पो0 1व 2 के पिता पांचू पुत्र काना व रेस्पोडेन्ट सं0 3 सांवता पुत्र मिश्र्या का नाम दर्ज कर दिया। पर्चा खतौनी मे भी बतौर खातेदार इन्द्राज कर दिया। भू–प्रबन्ध विभाग

द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश के खातेदारी मे परिवर्तन करने का अधिकार नही होने पर भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खसरा परिशोधन भरने मे भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन मे 2002RRD286, 2017(1)RRT664, 2016RBJ115, 2018(2)RRT1030, 2018(2)RRT1062 दृष्टांत पेश किये गये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबंध अधिकारी का आदेश दिनांक 23.06.1981 निरस्त किया जाकर खसरा परिशोधन व पर्चा खतौनी मे रेस्पोडेन्ट का नाम इन्द्राज किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को बार बार अवसर वास्ते बहस दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को बार बार बहस हेतु अवसर दिये गये। न्यायालय मे बार बार आवाज लगाने पर भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 मे से कोई भी उपस्थित नही हुआ। अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सुखदेव पुत्र काना जाति मीना निवासी खेडा को दिनांक 09.07.1961 को साबिक खसरा नं0 50/336, 50/337 आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि का नामा0 संख्या 101 दिनांक 25.08.1971के द्वारा सुखदेव पुत्र काना को गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इसके पश्चात् नामा0 संख्या 155 दिनांक 08.06.1985 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नं0 50/336,50/337 के वर्तमान खसरा नं0 432 लगा0434, 435/1367, 435/1368, 437, 438, 480, 481 बने है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा एकमात्र सुखदेव पुत्र काना के नाम भूमि आवंटित की गई थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश के खातेदारी मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नही होने पर भी क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पो0 1 व 2 के पिता पाच्या पुत्र काना व रेस्पो0 सं0 3 सांवता पुत्र मिश्र्या का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया। ऐसी स्थिति में सहायक भू प्रबंध अधिकारी का आदेश दिनांक 23.6.1981 निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.1981 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 04.03.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा